फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी | | **अप्रार्थीगण**
दुर्गाराम | **बनाम** | **मुन्नालाल वगैरह**

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रा.पत्र | मुकदमा नं. 54 / 2021

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
22 / 07 / 2021	यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 151 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक प्रकृति का होना जाहिर किया तथा प्रकरण में एक पक्षीय बहस का निवेदन किया। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दोनो एक ही परिवार के सदस्य है तथा इनके पुश्तैनी बढेर के खेताय खसरा नं. 447 / 209, 506,/ 105, 507 / 105, 209, 509 / 107, 508 / 105, 510 / 107 के रूप में रहती चली आई है। जिसमें प्रत्येक खातेदार का 1 / 5 हिस्सा निहित होने के उपरान्त भी मुतदाविाय खेतायो की भूमि प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हो रखा है, जबकि मौके पर प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि पर काश्त की जा रही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 खातेदारी की आड़ में हिस्सा विशेष की भूमि का बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि करने पर आमादा है, यदि खातेदारी की आड़ में अप्रार्थीगण हिस्सा विशेष की भूमि का बैचान हस्तान्तरण कर देते है अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होगी। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे कि वे राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार दखलन्दाजी न तो स्वयं करे तथा न ही किसी अन्य से करावे। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपलब्ध दस्तावेज, प्रार्थी के शपथ पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात् एवं प्रार्थी के स्वयं के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुये प्रथम दृष्टयां विवादग्रस्त भूमि ग्राम मेरवास तहसील जायल के के खसरा नं. 447 / 209, 506,/ 105, 507 / 105, 209, 509 / 107, 508 / 105, 510 / 107 की भूमि का भौतिक विभाजन नहीं होने हुआ है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संबंध बंटवारा को लेकर विवाद होना सम्पुष्ट होता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 द्वारा पुश्तैनी भूमि जिसकी वर्तमान में खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज है की भूमि का खातेदारी की आड़ में भूमि का बैचान, हस्तान्तरण तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति प्रार्थी को होना प्रतीत होती तथा मामला प्रथम दृष्टयां, सुविधा का संतुलन के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 को ग्राम– मेरवास, तहसील–जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 447 / 209, 506,/ 105, 507 / 105, 209, 509 / 107, 508 / 105, 510 / 107 के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक नहीं किये जाने बाबत जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है। अतः अप्रार्थीगण जरिये सम्मन के जवाबदेही हेतु तलब हो। पत्रावली दिनांक **16.08.2021** को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
16/8/21	वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण में से अप्रार्थी सं. 1, 2 व 5 के सम्मन तामील शुदा तथा शेष के अप्राप्त है। किन्तु वास्ते उपस्थिति इन्तजार किया। 17/8/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

बनाम्

मुकदमा नं.– /

किस्म प्रकरण :

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
10/5/22	वकुलाय उप। प्रार्थना पत्र पर बहस अन्तिम सुनी गई। मिसल वास्ते आदेश दिनांक 26/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	M.V 10/5/22 (हस्ताक्षर) Adv.
26/05/22 ~~26/5/22~~	वकुलाय उप। प्रार्थी आसाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। मिसल वास्ते तलबी हेतु दिनांक 12/7/2022 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	
27/6/22	पत्रावली प्रार्थना पत्र के साथ पेश हुई। प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली से संबंधित मूल वाद जरिये विड्राल खारिज हो चुका है। वाद के अभाव में पत्रावली का औचित्य शेष नहीं रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 RTACT का खारिज किया जाता है। मूल वाद के साथ संलग्न रहकर दाखिल दफ्तर रहे। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल	दुर्गाराम (हस्ताक्षर)